शपथपत्र के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाना

2922. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री 27 फरवरी, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 393 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के मण्डल सं० 43 के अन्तर्गत रहने वाले उपभोक्ताओं से न्यायिकेतर स्टाम्प पेपरों पर इस आशय के शपथ पत्र के साथ आवेदन प्राप्त होते रहे हैं कि अभिसाक्षी दिल्ली में निम्न पते पर अपने परिवार के साथ रह रहा है और अभिसाक्षी को एक नया राशनकार्ड जारी किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और क्या इस सम्बन्ध में किसी विसंगति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1986-87 के वर्ष के दौरान कुल कितने स्टाम्प पेपर मण्डल सं० 43 से प्राप्त हुए हैं और उनके आधार पर अभिसाक्षियों के नाम तथा पते क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय मण्डल संख्या 43 में नए खाद्य कार्ड जारी करने के लिये हर रोज बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, जिनके साथ आमतौर पर किसी पिछले खाद्य कार्ड का कोई सबूत नहीं लगा होता है, बल्कि केवल 2 रु० का एक न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर (नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर) लगा होता है जिस पर इस आशय का एक शपथ-पत्र होता है कि आवेदक के पास कोई खाद्य कार्ड नहीं है । दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये मौजूदा विभागीय अनुदेशों के अन्तर्गत आवेदक को खण्ड 2 के अनुसार फार्म 1 (नया खाद्य कार्ड जारी करने के लिये आवेदन फार्म) पर शपथपूर्वक घोषणा करनी होती है कि उसके पास या कार्ड में उल्लिखित अन्य किसी व्यक्ति के पास कोई दूसरा उपभोक्ता कार्ड नहीं है । अतः इस बारे में न तो किसी शपथपत्र के प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और न ही ऐसे किसी शपथ-पत्र से, जहां तक आवास तथा कानूनी कब्जे के बारे में जांच करने और बाद में खाद्य कार्ड जारी करने अथवा न करने का संबंध है कोई अन्तर नहीं पड़ता है ।

(ग) चूंकि वित्तीय वर्ष 1986-87 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः वांछित सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ।

राशन कार्डों को जारी किए जाने में बिलम्ब

2923. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के मण्डल सं० 43 के अन्तर्गत रहने वाले उपभोक्ताओं को नया राशन कार्ड उनके आवेदन के पंजीकरण के एक माह के बाद तक निरीक्षकों द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की कोई जांच करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई उपचारी उपाय करने का विचार रखती है कि दिल्ली में सभी मण्डलों में रहने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि के भीतर राशनकार्ड जारी कर दिये जाएं, और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं। तथापि, आवेदकों द्वारा अपूर्ण सूचना दिये जाने आदि के कारण कुछ मामलों में देरी हुई है।

(ख) ऊपर (क) पर दिये गये उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये सरकार इस संबंध में कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझती है ?

(ग) से (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि राशन कार्ड एक निर्धारित अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएं, दिल्ली प्रशासन ने अनुदेश जारी किये हैं कि यदि आवेदक किराये की रसीद, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन-बिल, गृह-कर की रसीद, गैस कनेक्शन आदि जैसे दस्तावेजी साथ प्रस्तुत करता है तो निवास-स्थान संबंधी तथ्य के पश्चात् स्थायी राशन कार्ड तैयार करके 72 घंटे के भीतर आवेदक के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। अन्य मामलों में, राशन कार्ड जारी करने से पहले मौके पर जांच, जिसमें दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लेना भी शामिल है, की जानी चाहिये। जिन मामलों में राशन कार्ड जारी नहीं करने होते हैं, वहां आवेदक को इसके लिये कारण बताते हुये लिखितरूप में सूचित करना होता है।

नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

2924. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार संख्या क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि नेत्रहीन शिक्षित व्यक्तियों को आरक्षण के मुताबिक राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकर रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षित नेत्रहीनों को योग्यतानुसार रोजगार मुहैया कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों ने उचित पदों पर नेत्रहीनों के लिए नौकरियों में आरक्षण किया हुआ है और उन्हें नौकरियां प्रदान कर रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खान मालिकों को मुआवजा

2925. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब तक किन-किन कम्पनियों और निजी खान मालिकों को मुआवजे के भुगतान का मामला केन्द्रीय सरकार के पास निलम्बित है ; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम्दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Tenements for Weaker Section of society in Chandigarh

2926. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of tenements constructed for the weaker section of society at Chandigarh during the year 1986;

(b) what is the number of people without a shelter in the Union Territory; and